GOVERNMENT OF INDIA SHARAT BARAGA MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA (RAILWAY BOARD)

S. No PC-V 22

RBE No.179/97

No.PC-V:97/17/12

New Delhi, dtd | 6,12,97

The GMs/CAO(R) OSDs, All Indian Railways & Production Units (as per mailing list)

Sub: Recommendations of the Fifth Pay Commission Decisions of Government relating to grant of Transport
Allowance to Railway servants.

Consequent upon the decisions taken by the Government on the recommendations of the Fifth Pay Commission relating to Transport Allowance (to suitably compensate for the cost incurred on account of commuting between the place of residence and place of duty) vide Ministry of Finance's resolution No.50(1)/IC/97 dated 30:9.97 and promulgation of the Railway Services (Revised Pay) Rules 1997, the President is pleased to decide that the Railway employees shall be entitled to Transport Allowance at the following rates:-

Pay Scale of the Employee Rate of	Rate of Transport Allowance per month (in Rupees)			
	"A-1"/"A" Class city	Other Places		
1. Employees drawing pay in the scale of Rs. 8000-13500 or above.	800	400		
2. Employees drawing pay in the scale of Rs.6500-10500 or above but below the scale of Rs.8000-13500.	400	260		
3. Employees drawing pay below the scale of Rs.6500-10500.	100	75		

^{2.} The grant of transport allowance under these orders shall be regulated according to, and will be subject to, the following conditions:

Contd. 2...

		-	
			•

- (i) The cities referred to as "A" and "A-1" in these orders shall be the same as those classified as such for the purpose of Compensatory (City). Allowance (CCA) in terms of the orders issued separately regulating grant of CCA to the Central Government employees:
- (ii) The allowance shall not be admissible to those employees who are provided wire Government accommodation within a distance of 1 Km, or within a campus housing the places of work and residence.
- Note 1. The grant of the allowance under these orders would be subject to furnishing of a certificate by the Railway employee that the Government accommodation is not located within I Kim. from the place of work of the concerned employee or within a campus housing the places of work and residence.
- Note 2. The allowance shall also not be admissible to railway employees posted at wayside stations for whom
 - (a) railway accommodation is specifically earmarked or
 - (b) whose occupation of railway Quarters is essential for easy accessibility during emergency, essential discharge of duties etc. in the following instances:-
 - (i) in case they surrender such accommodation
 - (ii) do not submit application for such accommodation or
 - (iii) who after submitting application for such accommodation refuse to accept it when offered or allotted.
- Note 3. In the case of employees who are presently availing the facility of residential card passes of any type (including for spouse and children, children's school RCP etc), an option may be given to the employee. In case they opt for the transport allowance they may be paid the allowance at rates as applicable to them subject to the condition that the existing facility of RCP of any type as well as the facility of travelling on card pass metal pass on suburban sections for non-official duties would be withdrawn from the date they opt for the transport allowance.
- Note 4. In the case of the employees presently availing of the facility of workmen trains, an option is to be given to the employees as a group to either avail themselves of the existing facility or to switch over to the payment of transport allowance as admissible under these orders.
- Note 5. In the case of Gangmen of Engineering Department, the distance of 1 Km. for the place of work shall be measured from the Tool Box.

Contd.3....

		-

- Note 6. "Campus" as referred to above will be defined as "A self-contained unit with residence and office in an exclusive railway area".
 - (mi) the allowance shall not be admissible to those employees who have been provided with the facility of Government transport.
 - (iv) In case of employees who have opted to draw pay in the pre-revised scales of pay, the transport allowance shall be regulated in accordance with the revised scales of pay to which such employees would have been entitled to, had they opted to come over to revised scales.
 - In case of officers of the level of Head of Department (SAG) in Rs.18400-22400 and above and officers in the scale Rs.16400-20000 if in the field and designated as HOD, who have been provided with the facility of staff car for commuting between office and residence on prescribed payment basis under Railway Board's order No.E:G)95 AL 4-9 dated 06.11.95, an option may be given to them either to avail themselves of the existing facility or to switch over to the payment of Transport Allowance, as admissible under these orders. In case they opt for the latter, they may be paid the allowance at rates as applicable to them, subject to the condition that the existing facility of staff car shall be withdrawn from the date they opt for the allowance. In case they opt for the former, the allowance shall not be admissible to them and they would not be required to make any payment for the facility of staff car between residence and office.
 - (vi) In terms of Board's orders vide No.F(E)I-78/AL-7/5 dated 23.10.78 as amended from time to time, conveyance allowance is admissible to such of the Railway employees borne on regular establishment (including work-charged staff) as are blind or are orthopaedically handicapped with disability of lower extremities. Consequent upon coming into force of these orders, such conveyance allowance shall be abolished and instead all such employees may now be paid transport allowance at double the normal rates prescribed under these orders. In case, however, such handicapped employees have been provided with Government accommodation within a distance of one kilometer from the place of work or within a campus housing the places of work and residence, the allowance shall be admissible at normal rates as applicable under these orders. The allowance shall not be admissible in case such employees have been provided with the facility of Government transport.

		•	

SINS PO-VID

- This allowance will not be admissible during absence from dury exceeding 30 (ir/ days due to leave (including prefixing and suffixing of holidays), training, tour, erc.
- These order that assumed from 1.3.97. 3
- This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways...
- Hindi version of these orders is enclosed. 3.

(R. Kashvap) EXECUTIVE DIRECTOR PAY COMMISSION-I RAILWAY BOARD

Copy forwarded to :-

- The GM N.F. Railway (Const.), CAOs. Southern Railway (Const.) and Central Railway (Const.)
- The FA & CAOs. All Indian Railways, Production Units, N.F. Railway (Const.) and Southern Railway 2.
- The Director General, RDSC/Lucknow 3.
- The General Manager and FA & CAO, Metro Railway/Calcutta
- The General Manager and FA & CAO, COFMOW/New Delhi The General Manager and FA & CAO, CORE/Allahabad
- S. 7. The Principal Railway Staff College/Vadodara
- 3. The CAO (Const.), MTP(R)/Mumbai
- The CAO (Const.), MTP(R)/Chennai 9.
- 10. The Director, CAMTECH/Gwallor-474020
- The Director, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik Road, IRIMEE/Jamalpur, IRISET/Secunderabad 11.
- The Managing Director, RITES, IRCON, IRFC, CONCOR of India Limited, Executive Director 12.
- The Chairman and Managing Director, KRC Limited/New Delhi 13.
- Office of the Chief Project Administrator (Telecom), Indian Railway Central Organisation for 14. Telecom (IRCOT) Consultancy, Shivali Bridge/New Delhi
- 15. The Director (Movement), Railways/Calcutta
- The Joint Director(Finance), RDSO, Lucknow 16.
- The Joint Director, Mil Rail, Ministry of Defence 17.
- 18. The Joint Director, Iron & Steel, 3, Kolla Ghat Street/Calcutta
- 19. Chief Mining Advisor, Ministry of Railways, Dhanbad, Bihar
- The Chairman, RCC, Lox Sabha Secretariat/New Delhi 20.
- The Chairman, RCT/Delhi 21.
- 22. The Chairman, RRT/Chennal

भारत तरकार रेल मंत्रालय १ रेलवे बोर्ड १

आर बी ई सं 179/97

क्रम तं• षी ती• V /22 तं•पी•ती• V / 97/1/7/12

नई दिल्ली, दिनांक: 16-12-97

महापृबंधक/मुख्य पृशासनिक अधिकारी/विशेष कार्याधिकारी सभी भारतीय रेनें तथा उत्पादन इकाइयां• ईडाक सूची के अनुसार हैं

> विषय: पांचवें वेतन आयोग की तिफारिशें-रेल कर्मचारियों को परिवहन भत्ता प्रदान करने के संबंध में सरकार के निर्णय•

वित्त मंत्रालय के 30.9.97 के संकल्प सं. 50 । । । आई सी. / 97 दारा तथा रेल तेवा । संशोधित वेतन । नियम, 1997 को प्वर्तित किए जाने के परिणाम- स्वरूप । निवास स्थान और कार्य के तथान के बीच आने—जाने के लिए किए जाने वाले खर्च को समृचित रूप से क्षतिपूर्ति करने हेतु । परिवहन भत्ते के संबंध में पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार दारा किए गए विनिश्चयों के परिणाम- स्वरूप, राष्ट्रपति जी सहर्ष यह विनिश्चय करते हैं कि रेल कर्मचारीगण निम्नलिखित दरों पर परिवहन भत्ते के पात्र होंगे:-

कर्मचार्जी का वेतनमान	प्रतिमाह परिवहन भत्ते की दरें हरूपये में			
	"ए-1", "ए" श्रेणी शहर	अन्य स्थान		
 8000-13500 रू० या इसते अधिक के वैतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी• 	800 .	400		
2• 6500-10500 रू० या इसते अधिक तथा 8000-13500 रू० ते	400	200		
कम के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी:	90	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

3. 6500-10500 रू० ते कम 100 वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी.

- 75
- 2. इन आदेशों के अधीन परिवहन भरते की स्वीकृति निम्नलिखित शतों के अनुसार एवं उस पर निर्भर करेगा.
- हैं। इन आदेशों में "ए" तथा "ए-।" के रूप में संदर्भित नगर वही होंगे जैसा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नगर प्रतिपूरक भत्ता की स्वीकृति को विनियमित करने वाले अलग से जारी किए गए आदेशों के अनुसार प्रतिपूरक हैनगर है मत्ता के प्रयोजन हेतु इन्हें वर्गीकृत किया गया है∙
- हुं। हे यह भत्ता उन कर्मचारियों को स्वीकार्य नहीं होगा जिन्हें आवास कार्य के स्थान से एक किलोमीटर की दूरी के भीतर अथवा कार्यस्थान के परिसर में तरकारी आवास मुहैया कराई गई हो.
- नोट । इन आदेशों के अन्तर्गत भत्ते की स्वीकृति रेल कर्मचारियों द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर निर्भर करेगा कि सरकारी आवास संबंधित कर्मचारी के कार्य के स्थान ते । किलोमीटर के भीतर नहीं है अथवा कार्य के स्थान के परिसर में स्थित नहीं है.
- नोट 2. यह भत्ता छोटे स्टेशनों पर तैनात उन रेल कर्मचारियों को भी अनुमेय नहीं होगा जिनके लिए
 - कृषः रेलवे आवास विनिद्धिष्ट तौर पर उद्दिष्ट हो, अथवा
 - - हैं। यदि उन्होंने ऐसे क्वार्टर अभ्यपित कर दिए हों।
 - ूँ। । यदि वे ऐसे आवास के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत न करते हों, अथवा

- §iii को ऐते आवास के लिए आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के बाद पेशक्या किए जाने अथवा आबंटित किए जाने पर इन्हें लेने से मना करते हों.
- नोट उ॰ उन कर्मचारियों के मामले में जो शपति/पत्नी एवं बच्यों, बच्चों के रकूल,
 आर॰ सी॰ पी॰ आदि तहित शिली टाइप के रिहायशी कार्ड पास की
 सुविधा फिलहाल उठा रहे हों, एक विकल्प उन कर्मचारियों को दिए जाएं॰
 यदि वे परिवहन भत्ते के लिए विकल्प देते हों तो इस शतें के अधीन उन्हें
 यथास्वीकार्य दरों पर भत्ते का भूगतान किया जाए कि किसी भी कित्म की
 आर॰ सी॰ पी॰ की मौजूदा सुविधा तथा गैर—सरकारी इयूटियों के लिए
 उपनगरीय खंडों पर कार्ड पास/मेटल पास पर यात्रा करने की सुविधा
 उस तारीख से वापस ले ली जाएगी जिस तारीख से वे परिवहन भत्ते
 के लिए विकल्प देते हों॰

- नोट 4. यदि कर्मचारी इस तमय कर्मचारी गाड़ियों की तुविधा का लाभ उठा रहे हों तो उन कर्मचारियों को एक तमूह के रूप में एक विकल्प दिया जाएगा कि या तो वे मौजूदा तुविधा का स्वंय लाभ उठाएं अथवा इन आदेशों के अन्तर्गत यथास्वीकार्य परिवहन भत्ते का भुगतान किए जाने के लिए परिवर्तन करें.
- नोट 5. इंजीनियरी विभाग के गैंगमैन के मामले में कार्य के तथान के लिए एक किलोमीटर की दूरी टूल बॉक्स ते मापी जाएगी.
- नोट 6. उपर संदर्भित "परिसर" की परिभाषा "एक विशिष्ट रेलवे क्षेत्र में रिहायश एवं कार्यालय सहित एक सम्पूर्ण इकाई" के रूप में होगी.
- हैं।। i यह भत्ता उन कर्मवारियों को अनुमेय होगा जिन्हें तरकारी परिवहन की सुविधा मुहैया की गई है.
- § 1 1/1 इन कर्मचारियों के मामले में जिल्होंने पूर्वतंशी धित वेतनमान में वेतन लेने का विकल्प दिया हो, परिवहन भत्ते का विनियमन उस तंशी धित वेतनमान के अनुसार किया जाएगा जिसके लिए ऐसे कर्मचारी यदि उन्होंने संशो धित वेतनमान से बाहर रखने का भी विकल्प दिया होता तो भी, पात्र रहे होते.

18400-22400 रू० या इसते अधिक के देतनमान में विभागाध्यक्ष ्दारिष्ठ प्रशासी गुंड है के स्तर के अधिकारियों तथा 16400-20000 रू० के वेतनमान में कार्यरत उन अधिकारियों, जो क्षेत्र में हों तथा विभागाध्यक्ष के रूप में पदनामित हो, के नामले में, जिन्हें रेलवे बोर्ड के 6.11.95 का आदेश तं. ईंशजी है95 ए. एल. 4-9 के अन्तर्गत निर्धारित भगतान के आधार पर कार्यालय तथा आवात के बीच आने जाने के लिए तटाँफ कार की तुर्विधा मुहैया कराई गई हो, उन्हें यह विकल्प दिया जार कि या तो वे मौजूदा तुविधा का स्वंय लाभ उठारं अथवा इन आदेशों के तहत यथा अनुमेय परिवहन भत्ते का भुगतान किए जाने के लिए उसमें परिवर्तन करें । यदि वे बादवाली व्यवस्था का विकल्प देते हों तो उन्हें यथीरवीकार्य दरों पर इस गर्त के अध्यधीन भुगतान किया जाए कि ं स्टॉफ कार की तुविधा उस तारीख से समाप्त कर दी जाएगी जिस तारीख ते वे भत्ते के लिए विकल्प देते हों। यदि वे पहले वाली व्यवस्था के लिए विकल्प देते हों तो यह भत्ता उन्हें अनुमेय नहीं होगा तथा निवास तथा कार्यालय के बीच स्टॉफ कार की तुविधा हेतू उन्हें कोई भुगतान किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी•

हिं हो है के समय-तमय पर यथातंशी धित 23.10.78 के आदेश सं. एप हैं हैं।-78/
ए. एत. 7/5 के अनुतार, हैं कार्यप्रभारित कर्मचारियों तहित हैं नियमित
स्थापना में तैनात उन रेल कर्मचारियों को वाहन भत्ता स्वीकार्य है
जैता कि नेत्रहीन अथवा शरीर के नीचले भाग में शारी रिक ल्प ते
विकलांग कर्मचारियों को अनुमय होते हैं. इन आदेशों के प्रभावी होने के
परिणामस्वल्प, इस प्रकार के वाहन भत्ते को समाप्त कर दिया जाएगा तथा
इसके बदले में अब सभी ऐसे कर्मचारियों को इन आदेशों के तहत निर्धारित
तामान्य दरों के दुगने पर परिवहन भत्ते का भुगतान किया जाएगा
तथापि, यदि इस प्रकार के कर्मचारियों को कार्य के स्थान से एक किलोमीटर
की दूरी के भीतर अथवा कार्य के स्थान एवं आवास के स्थान पर आवास
परिसर के भीतर सरकारी आवास मुहैया कराया गया हो तो इन आदेशों
के अधीन यथा अनुभेय सामान्य दरों पर भत्ता स्वीकार्य होगा। यह
भत्ता उन कर्मचारियों के मामले में स्वीकार्य नहीं होगा जिन्हें सरकारी
परिवहन की सुविधा मुहैया कराई गई है।

्रें V ii ≱्यह भत्ता छुट्टी ∮अवकाश के दिन आगे तथा पीछे जोड़ने तहिता पृशिक्षण, दौरे, आदि के कारण 30 दिनों से अधिक समय तक अनुपर्थित रहने के दौरान स्वीकार्य नहीं होगा•

उ॰ यह आदेश 1.8.97 से लागू होंगे।

40 इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की तहमति से जारी किया जा रहा है.

(4-

§ आर•कश्यम
§

कार्यकारी निदेशक, वेतन आयोग-।,

रेलवे बोर्ड•